

डिक्री मुकदमा इब्दादाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बड़जलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान
1. मिश्रा पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. रत्तिराम पुत्र घीस्या
2. रामजीलाल पुत्र घीस्या
3. मदनलाल पुत्र रामकुवार
समस्त जाति मीना निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम।
4. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 83/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरौसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, श्री मनोज कुमार शर्मा, श्री जितेन्द्र तिवाडी एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी मिश्रा पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी खिरखिडी को ग्राम खिरखिडी की आराजी ख0न0 626/1/0.07, 825/1/0.07, 833/0.06, 993/0.10, 992/2/0.08, 998/0.15, 1000/3/0.03, 1001/0.09, 1002/0.06, 1013/1/0.18, 1021/0.28, 1022/0.13 कुल किता 12 कुल रकवा 1.30 है0 का, प्रतिवादी रत्तीराम पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी खिरखिडी को ख0न0 626/0.13, 992/1/0.09, 993/1/0.09, 998/1/0.15, 1000/1/0.01, 1001/1/0.03, 1002/1/0.01, 1013/2/0.19, 1021/1/0.28, 1022/1/0.14 कुल किता 10 कुल रकवा 1.12 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इनमेसे ख0न0 1000/1, 1001/1, 1002/1 को छोडकर शेष आराजी बैंक ऑफ शाखा करीरी के रहन के इन्द्राज रहेगे, प्रतिवादी रामजीलाल पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी खिरखिडी को ख0न0 825/0.13, 832/0.06, 992/0.08, 993/2/0.09, 1000/2/0.01, 1001/2/0.05, 1002/2/0.04, 1013/0.19, 1023/0.27, 1024/0.20 कुल किता 10 कुल रकवा 1.12 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इनमेसे ख0न0 1000/2, 1001/2, 1002/2 को छोडकर शेष आराजी बैंक ऑफ शाखा करीरी के रहन के इन्द्राज रहेगे, प्रतिवादी मदनलाल पुत्र रामकुवार जाति मीना निवासी खिरखिडी राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी को ख0न0 1000/0.05, 1003/0.28 कुल किता 2 कुल रकवा 0.33 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, मिश्रा, रत्तीराम, रामजीलाल पि. घीस्या जाति मीना आराजी ख0न0 828/1315/0.03 गै.मु.चाह, 829/0.01 गै.मु. मंदिर, 830/0.03 गै.मु. गुनी, 832/1135/0.01 गै.मु. चाह, 1020/0.03 गै.मु.चाह कुल किता 5 कुल रकवा 0.11 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, रत्तीराम, रामजीलाल पि. घीस्या हि. 2/3 वी.ओ.वी. शाखा करीरी के नाम रहन रहेगे। उभयपक्षकारो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे की हिस्से की आराजीयात मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा।

निज.....मुबलिंग.....वावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।
बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.02.2020 को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)
ओहदा.....

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु०न० 83/17

तारीख रजू:- 05.07.2017

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. मिश्रा पुत्र धीस्या जाति मीना निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

- रत्तिराम पुत्र धीस्या
- रामजीलाल पुत्र धीस्या
- मदनलाल पुत्र रामकुवार
समस्त जाति मीना निवासी खिरखिडी तहसील टोडाभीम।
- तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थिति:- श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)
श्री मनोज शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी न० 2)
श्री जितेन्द्र कुमार तिवाडी एडवोकेट (प्रतिवादी न० 3)

निर्णय

दिनांक:- 28.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खिरखिडी स्थित भूमि खाता स० 168 मे ख०न० 1013/0.56, 1024/0.20, कुल किता 2 कुल रकवा 0.76 है० मे वादी हिस्सा 1/3 का एवं प्रतिवादी न० 1 व 2 बहिस्सा 2/3 के खातेदार काश्तकार है। एवं खाता स० 169 के ख०न० 626/0.20, 825/0.20, 828/1315/0.03, 829/0.01, 830/0.03, 832/0.06, 832/1135/0.01, 833/0.06, 992/0.25, 993/0.28, 998/0.30, 1020/0.03, 1021/0.56, 1022/0.27, 1023/0.27 कुल किता 15 कुल रकवा 2.56 मे वादी हिस्सा 1/3 का एवं प्रतिवादी न० 1 व 2 बहिस्सा 2/3 के खातेदार काश्तकार है। खाता स० 158 के ख०न० 1000/0.10, 1001/0.17, 1002/0.11, 1003/0.28, कुल किता 4 कुल रकवा 0.66 है० मे वादी हिस्सा 1/3 का एवं प्रतिवादी न० 1 व 2 बहिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादी न० 3 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर बहामी तौर पर बटवारा हो रहा है। मुताबिक बटवारा काबिज काश्त है। अलग-अलग खाता नही होने से आपस मे डोल-मेड भूमि विक्रय लगान आदि पर विवाद बना रहता है। प्रतिवादीगण ने तहसील मे चलकर बटवारा कराए जाने से इन्कार करने पर दावा प्रेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी न० 1ता3 तकास्मा किया जाकर खाता स० 168 मे ख०न० 1013/0.56, 1024/0.20, कुल किता 2 कुल रकवा 0.76 है० मे वादी हिस्सा 1/3 का एवं प्रतिवादी न० 1 व 2 बहिस्सा 2/3 के खातेदार काश्तकार है। एवं खाता स० 169 के ख०न० 626/0.20, 825/0.20, 828/1315/0.03, 829/0.01, 830/0.03, 832/0.06, 832/1135/0.01, 833/0.06, 992/0.25, 993/0.28, 998/0.30, 1020/0.03, 1021/0.56, 1022/0.27, 1023/0.27 कुल किता 15 कुल रकवा 2.56 मे वादी हिस्सा 1/3 का एवं प्रतिवादी न० 1 व 2 बहिस्सा 2/3 के खातेदार काश्तकार है। खाता स० 158 के ख०न० 1000/0.10, 1001/0.17, 1002/0.11, 1003/0.28, कुल किता 4 कुल रकवा 0.66 है० मे वादी हिस्सा 1/3 का एवं प्रतिवादी न० 1 व 2 बहिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादी न० 3 बहिस्सा 1/2 मे अलग-अलग खाता कायम करने हेतु दावा प्राथमिक डिकी फरमाया जावे। तथा वादी के हिस्से की भूमि मे कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न० 1 व 4 वावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इसलिए इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी न० 2 की और से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट एवं

उपदिष्ट कलक्टर

प्रतिवादी न० 3 की और से श्री जितेन्द्र तिवाड़ी एडवोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी न० 3 की और से जबाब प्रस्तुत किया कि आराजी ख०न० 1000/0.10, 1001/0.17, 1002/0.11, 1003/0.28, कुल किता 4 कुल रकवा 0.66 है० मे बहिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। वादी द्वारा गलत पेश किया दावा खारिज योग्य है। प्रतिवादी न० 2 ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है कि आराजीयात मुतनाजा के प्रत्येक इंच भूभाग पर प्रत्येक सहखातेदार का मौके पर कब्जा काश्त है। डोल-मेड व काश्त को लेकर आपस मे विवाद बना रहता है। सम्मिलित रूप से मौके पर काश्त किया जाना संभव नहीं रहा है। काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादी न० 2 का प्राथमिक डिक्ली किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात मे मुताबिक हिस्सा अच्छी मेसे अच्छी एवं बुरी मेसे बुरी का बटवारा कराया जाकर वाद रिपोर्ट कमिश्नर फाईनल डिक्ली फरमाया जावे।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वादीवकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि यह दावा तकास्मा का है। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072-75 हिस्सा दावा प्राथमिक डिक्ली कर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। बाद सुनवाई दावा मय काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्ली कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाकर खातेदारान का अलग-अलग खाता कायम करते हुये बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम पर वादी वकील ने प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम पेश किया जिसे बाद सुनवाई स्वीकार कर तहसीलदार टोडाभीम को स्वयं की उपस्थिति व पक्षकारान की उपस्थिति मे बटवारा स्कीम पुनः तैयार कर बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, तहसीलदार टोडाभीम से पुनः प्राप्त हुई बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्षकारान ने अवलोकन करते हुये मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्ली करने का कथन किया। वकील उभयपक्ष की सहमति पर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्ली किया जाता है।

अतः वादी मिश्रा पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी खिरखिडी को ग्राम खिरखिडी की आराजी ख०न० 626/1/0.07, 825/1/0.07, 833/0.06, 993/0.10, 992/2/0.08, 998/0.15, 1000/3/0.03, 1001/0.09, 1002/0.06, 1013/1/0.18, 1021/0.28, 1022/0.13 कुल किता 12 कुल रकवा 1.30 है० का, प्रतिवादी रत्तीराम पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी खिरखिडी को ख०न० 626/0.13, 992/1/0.09, 993/1/0.09, 998/1/0.15, 1000/1/0.01, 1001/1/0.03, 1002/1/0.01, 1013/2/0.19, 1021/1/0.28, 1022/1/0.14 कुल किता 10 कुल रकवा 1.12 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इनमेसे ख०न० 1000/1, 1001/1, 1002/1 को छोडकर शेष आराजी बैंक ऑफ शाखा करीरी के रहन के इन्द्राज रहेगे, प्रतिवादी रामजीलाल पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी खिरखिडी को ख०न० 825/0.13, 832/0.06, 992/0.08, 993/2/0.09, 1000/2/0.01, 1001/2/0.05, 1002/2/0.04, 1013/0.19, 1023/0.27, 1024/0.20 कुल किता 10 कुल रकवा 1.12 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इनमेसे ख०न० 1000/2, 1001/2, 1002/2 को छोडकर शेष आराजी बैंक ऑफ शाखा करीरी के रहन के इन्द्राज रहेगे, प्रतिवादी मदनलाल पुत्र रामकुवार जाति मीना निवासी खिरखिडी राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी को ख०न० 1000/0.05, 1003/0.28 कुल किता 2 कुल रकवा 0.33 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, मिश्रा, रत्तीराम, रामजीलाल पि. घीस्या जाति मीना आराजी ख०न० 828/1315/0.03 गै.मु.चाह, 829/0.01 गै.मु. मंदिर, 830/0.03 गै.मु. गुनी, 832/1135/0.01 गै.मु. चाह, 1020/0.03 गै.मु.चाह कुल किता 5 कुल रकवा 0.11 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, रत्तीराम, रामजीलाल पि. घीस्या हि. 2/3 बी.ओ. करीरी के नाम रहन रहेगे। उभयपक्षकारो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे की हिस्से की आराजीयात मे मजाहमत मदाखलत नहीं करे, नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्ली जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



28.02.2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (केरला)

